शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
प्रधान सचिव का कार्यालय
आदेश

माननीय उच्चत्तम न्यायालय में दायर WRIT PETITION CIVIL No-147/2014, नाज फाउन्डेशन (इंडिया) ट्रस्ट बनाम भारत सरकार एवं अन्य के माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया है कि कुछ राज्यों में HIV/AIDS प्रभावित बच्चों के साथ विद्यालय में भेदभाव किया जाता है। इस आधार पर कि बच्चे HIV/AIDS प्रभावित हैं अथवा वे HIV/AIDS प्रभावित माता–पिता/अभिभावक के साथे रहते हैं, उन्हें विद्यालय में प्रवेश से रोका जाता है, विद्यालय से उन्हें निष्काषित किया जाता है अथवा विद्यालय में उन्हें अलग रखा जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों अंतर्गत कोई भी विद्यालय बच्चों के नामांकन तथा उनकी शिक्षा के संदर्भ में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा।

2. बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के भाग–IV धारा–7 (I) एवं 7 (2) में भी यह उल्लिखित है कि बच्चों से कक्षाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा या उन्हें अलग–थलग नहीं किया जाएगा या उनकी कक्षाएँ किसी अन्य स्थान या समय जो विद्यालय के अन्य बच्चों से अलग हों, आयोजित नहीं किए जाएँगे।

3. यहाँ उल्लेखनीय है कि HIV/ AIDS प्रभावित बच्चों के अन्य बच्चों के साथ बैठने, हाथ मिलाने, खेलने अथवा पढ़ने से HIV/ AIDS का संक्रमण नहीं होता है। यह अपेक्षित है कि HIV/AIDS प्रभावित बच्चे अथवा HIV/AIDS प्रभावित मातापिता/अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चों के नामांकन तथा स्कूल में उनकी शिक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए।

4. उपर्युक्त के आलोक में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यह आदेश दिया जाता है कि किसी भी विद्यालय में किसी भी HIV/AIDS प्रभावित बच्चे अथवा HIV/AIDS प्रभावित मातापिता/अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे के साथ नामांकन तथा शैक्षिक अथवा गैर–शैक्षिक आदि गतिविधियों में भेदभाव नहीं हो, सुनिश्चित करें।

7/10/14
(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।

ज्ञापांक:- BEPC/MGT/WP/(Civil)/378/2014 6868 दिनांक:– 10/10/14
प्रतिलिपि: सभी प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/10/14
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।

ज्ञापांक:- BEPC/MGT/WP/(Civil)/378/2014 6868 दिनांक:– 10/10/14
प्रतिलिपि: राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/10/14
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।